(146)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा(म.प्र.)

R5125-II/16

Rs 30/-

1. प्रधुमन प्रसाद पाण्डेय उर्म 49 वर्ष
2. अवधेश प्रसाद पाण्डेय उर्म 42 वर्ष
3. सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उर्म 35 वर्ष पाण्डेय
4. घनश्याम प्रसाद पाण्डेय उर्म 33 वर्ष

सभी के पिता स्व.चन्द्रिका प्रसाद

5. नागेन्द्र प्रसाद पाण्डेय उर्म 30 वर्ष
6. श्रीमती सुखलसिया पाण्डेय पत्नी चन्द्रिका प्रसाद पाण्डेय उर्म 70 वर्ष सभी का पेशा कृषि निवासी ग्राम–बहेरा नानकार थाना तहसील नईगढ़ी जिला रीवा (म.प्र.)

निगरानी कर्तागण/आवेदक

बनाम

1. सत्रुहन प्रसाद पाण्डेय उर्म 70 वर्ष तनय रामकृष्ण पाण्डेय
2. शालेन्द्र पाण्डेय उर्म 32 वर्ष
3. अनिल प्रसाद पाण्डेय उर्म 30 वर्ष

तनय सत्रुहन प्रसाद पाण्डेय

पेशा कृषि निवासी ग्राम बहेरा नानकार थाना तह.–नईगढ़ी जिला रीवा (म.प्र.)

श्री [illegible] द्वारा आज दिनांक 08-03-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

गैर निगरानी कर्ता/अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील नईगढ़ी द्वारा प्र.क्र.A/5/14x15 मे पारित आदेश दिनांक 15/07/2015 के विरुद्ध रिवीजन अन्तर्गत 50 म•प्र•भू•रा• संहिता 1959 ई•

मान्यवर,

यह कि अन्य भूमियो सहित आरजी 477/2/0.421 शा•नं• 478/2 भूमिया ग्राम बहेरा नानकार तहसील नईगढ़ी जिला रीवा (म•प्र•)मे स्थिमि है जो आवेदक एवं अनावेदक तथा अन्य बटांकधारी व्यक्तियो की पैतृक भूमिया है जिसमे आवेदक का ~~एक~~ हिस्सा 1/3 तथा अन्य अभिलिखित भमस्वामी गणो की सहमति व रजामन्दी के आधर पर वर्ष 2003 मे बटावारा हो गया फलतः आवेदको के पिता व पति को आर•नं•477/2/0.421 शा•नं•478/2 को प्राप्त जिसमे आवेदको को जिसमे आवेदको के पिता व पति जरिए आवादी निस्तार कर पेंड पौधे लगाकर अपने स्वत्व एंव अधिपत्य के उक्त भूखंण्ड के उक्त रकवा मे पृथक कब्जा दखल किये

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

मामला क्र0— R05125-II/2016 जिला—रीवा

प्रधुमन प्रसाद पाण्डेय वगैरः/ शत्रुध्न प्रसाद पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री अशोक तिवारी उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसीलदार, तहसील-नईगढ़ी, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 05/अ-5/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 08-03-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-04-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर रीवा के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 14/02/19
सदस्य